



REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
SPL-2, 5th Phase, RIICO Ind. Area, Kishangarh Dist. Ajmer
Email : rorpcb.kishangarh@gmail.com



RPCB/RO KSG/PUB-384/ 2033

Date: 01-10-2024

M/s Sarthak Minerals & Stones,
R/o C-338, Hans Marg,
Malviya Nagar, Jaipur.

Sub.- Public hearing for Environmental Clearance for Granite cluster mining project, Total Cluster Area 33.88902 Hectares, Total cluster production capacity 2039437.5 TPA (ROM), Village Rammaliya & Jotaya, Tehsil Bhinay, District Kekri applied by M/s Sarthak Minerals & Stones, M.L. No. 04/2023 (Ref. No. 20231000077778).


Ref.- Office of District Collector & District Magistrate, Kekri letter no. 3484 dated 23/09/2024.

Sir,

In reference to above, please find enclosed a public notice to be published in one major National Daily news paper and one Regional vernacular Daily/official state language news paper in any case on or before 08/10/2024. The news paper cutting are to be submitted to this office for further necessary action to conduct public hearing at **Rajeev Gandhi Seva Kendra, Jotayan, Tehsil Bhinay, District Kekri at 11:00 AM on 08/11/2024** for the environmental clearance of your project.


You are also requested to make available copies of EIA/EMP report and executive summary report in Hindi and English (with soft copies also) at various offices as mentioned in the public notice.

Yours sincerely


(Nidhi Khandelwal)
SEE & Regional Officer

Copy to following for information & necessary action:-

1. The Member Secretary (SEAC), Rajasthan State Pollution Control Board, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur.
2. The Additional District Collector & District Magistrate, Kekri in compliance of letter no. 3484 dated 23/09/2024.
3. Analyst Cum Programmer, Rajasthan State Pollution Control Board, Jhalana Doongari, Jaipur to display public notice on website of the State Board.


SEE & Regional Officer



क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एसपीएल-2, पंचम चरण, रिको औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़ (अजमेर)



राप्रनिम/क्षैका किश/पीयूबी-384/

दिनांक :

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आमसूचना

विषय:- मैसर्स सार्थक मिनरल्स एवं स्टोन्स, खसरा संख्या 2834/992, 2845/2837, 2847/994 एवं 995 खनन पट्टा संख्या 04/2023 (रिफरेंस संख्या 20231000077778), निकट ग्राम रामालिया एवं जोतायां, तहसील भिनाय, जिला केकड़ी द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाईट खनिज क्लस्टर खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोकसुनवाई।

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्रेनाईट खनन क्लस्टर कुल क्षेत्रफल 33.88902 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता-20,39,437.5 टीपीए (आर.ओ.एम.) आवेदक मैसर्स सार्थक मिनरल्स एवं स्टोन्स द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाईट खनन परियोजना है जिसका खनन क्षेत्र 1.00525 हैक्टेयर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 62,916 टीपीए (आर.ओ.एम.) जो कि खसरा संख्या 2834/992, 2845/2837, 2847/994 एवं 995, खनन पट्टा संख्या 04/2023 (रिफरेंस संख्या 20231000077778), निकट ग्राम रामालिया एवं जोतायां, तहसील भिनाय, जिला केकड़ी में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि मैसर्स सार्थक मिनरल्स एवं स्टोन्स ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के अनुसार में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
3. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-
 1. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, केकड़ी।
 2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
 3. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, राजस्थान, 04, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
 4. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला-अजमेर।
 5. तहसील कार्यालय- भिनाय, जिला-केकड़ी।
 6. राजीव गांधी सेवा केन्द्र, जोतायां, तहसील भिनाय, जिला केकड़ी।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, केकड़ी के पत्र क्रमांक EC/ JUD./24/3484 दिनांक 23.09.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 08/11/2024 को प्रातः 11:00 बजे, स्थान-राजीव गांधी सेवा केन्द्र, जोतायां, तहसील भिनाय, जिला केकड़ी में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

साथ ही इस संबंध में लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला-अजमेर में दिये जा सकते हैं यह आम सूचना वैशिक महामारी कोविड-19 से संबंधित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

(निधि खण्डेलवाल)

वरिष्ठ पर्यावरणीय अभियंता

एवं क्षेत्रीय अधिकारी